पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2011 ई0 (बैशाख 10, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	181–190	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	97–98	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	11–14	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

03 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 01/XXVI/दो(21)2004–तात्कालिक प्रभाव से श्री सुशील कुमार, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 20–12–2010 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड के पद वेतनमान ₹ 37,400–67,000 ग्रेड पे–8,700 के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री सुशील कुमार को अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून में अपर निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है।

श्री सुशील कुमार को संगत नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

18 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 01 नो0जी0/XXXVI(1)/2001–03–नो0जी0/2009–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री बद्री प्रसाद काला, अधिवक्ता को दिनांक 18–01–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला चमोली की तहसील गैरसैंण के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री बद्री प्रसाद काला, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 01-no-G/XXXVI(1)/2011.**

NOTIFICATION

Appointment

January 18, 2011

No. 01-no-G/XXXVI(1)/2011--In exercise of the powers given under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Badri Prasad kala, Advocate as Notary for a period of five years with effect from dt. 18.01.2011 for Tehsil Gairsain, District Chamoli and in exercise of the powers given under sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Badri Prasad Kala, Advocate be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

19 जनवरी, 2011 ई०

संख्या 01 नो०एल० / XXXVI(1) / 2011–28–नो०एल० / 2003–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, डा० पूरन सिंह भाकुनी, अधिवक्ता को दिनांक 19–01–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील कोश्याकुटोली के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि डा० पूरन सिंह भाकुनी, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 01-no-L/XXXVI(1)/2011.**

NOTIFICATION

Appointment

January 19, 2011

No. 01-no-L/XXXVI(1)/2011--In exercise of the powers given under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Dr. Pooran Singh Bhakuni, Advocate as Notary for a period of five years with effect from dt. 19.01.2011 for Tehsil Koshyakutoli, District Nainital and in exercise of the powers given under sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Dr. Pooran Singh Bhakuni, Advocate be entered in the Register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary, Law-cum-L.R.

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

05 जनवरी, 2011 ई०

संख्या 32 / XXVIII–2–2011–92 / 2006–उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत अपर निदेशक वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड / वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8900 के पद पर कार्यरत डा० जगदीश प्रसाद भट्ट, अपर निदेशक को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक के पद पर वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड / वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 10000 में पदोन्नति प्रदान करते हुए 06 माह की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–डा० जगदीश प्रसाद भट्ट, निदेशक की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा० उमाकांत पंवार,
सचिव।

शिक्षा अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

07 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 59/XXIV–2–2011–29(05)/2010–उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में अपर शिक्षा निदेशक वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत एवं वर्तमान में अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात श्री चन्द्र सिंह ग्वाल को उनके वर्तमान पद से पदोन्नत करते हुए वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड वेतन ₹ 10000 के निदेशक के संवर्गीय पद पर पदोन्नत करते हुए निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के संबंध में यदि मा0 न्यायालय में कोई याचिका विचाराधीन हो, तो उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त पदोन्नति राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम आवंटन के अधीन होगी।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

11 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 46/2011/12(100)/XXVII(8)/03–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के अनुसार उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–54(2)(क) तथा (4) (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, श्री मलिक मजहर सुल्तान के स्थान पर श्री कौशल किशोर शुक्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रथम द्रुतगामी कोर्ट, देहरादून को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड में त्रिसदस्यीय पीठ के उपयोगार्थ नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 72/2011/12(100)XXVII(8)/03–राज्यपाल, शासन की अधिसूचना संख्या–46/2011/12(100)/XXVII(8)/03, दिनांक 11–01–2011 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 54 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परामर्श से श्री कौशल किशोर शुक्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रथम द्रुतगामी कोर्ट, देहरादून को वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ द्वि–सदस्यीय पीठ के क्षेत्राधिकार की ऐसी द्वितीय अपीलों, जिनमें अपील मीमों श्री टी0सी0 तिवारी, तत्कालीन एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में वाद की सुनवाई कर चुके हैं, की सुनवाई हेतु विशेष द्वि–सदस्यीय पीठ में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

विज्ञप्ति / नियुक्ति

14 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 33 / XXVIII–3–2011–42(रिट) / 2007–रिट याचिका संख्या–1015(एस / एस) / 2007, पवन कुमार बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2010 के अनुपालन में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2002 में चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री पवन कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह, निवासी साउथ सिविल लाईन, मोहम्मदपुर मोहनपुरा, रुड़की, जनपद हरिद्वार को श्री राज्यपाल महोदय चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक, वेतनमान वे0वे0–2 ₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन ₹ 4200 के पद पर मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अधीन उपलब्ध रिक्त पद के प्रति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–1015 (एस / एस) / 2007, पवन कुमार बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 21–09–2010 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष इजाजत याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी और राज्य के पक्ष में निर्णय होने पर यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2–यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात् उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्ति नियमावली, 1975 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण उनकी तैनाती के जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के द्वारा इन्ड्रेक्शन (सेवा प्रवेश कोर्स), विभागीय व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कराया जायेगा।

5–उक्त अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत् सूचनायें / प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी :–

(i) अभ्यर्थी की तैनाती के जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

(iii) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(iv) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा–पत्र / शपथ–पत्र।

(v) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट–1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

(vi) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(vii) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं एक–एक प्रमाणित प्रति।

(viii) लिखित रूप में अंडर टेकिंग कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

(ix) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ–पत्र।

6–उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने के उपरान्त ही इनके स्थायीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

7–सम्बन्धित अभ्यर्थी 15 दिन के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर–4 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

8–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

डा0 उमाकांत पंवार,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

20 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 07 / 2011 / 13(100) / XXVII(8) / 10–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–3985 / आयु0क0 उत्तरा0 / स्था0अनु0 / वाणि0क0 / 2010–11 / दे0दून, दिनांक 29–12–2010 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्नानुसार वाणिज्य कर अधिकारियों को स्थानांतरित कर तैनात किया जाता है :–

अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद / स्थान	नवीन तैनाती का पद / स्थान	अभ्युक्ति
1. श्री सुरेश चन्द्र	वाणिज्य कर अधिकारी, जांच चौकी, ढ़ालीपुर	वाणिज्य कर अधिकारी, रेलवे जांच चौकी, ऋषिकेश	रिक्त पद के सापेक्ष
2. श्री ओ0पी0 रावत	वाणिज्य कर अधिकारी, जांच चौकी, कौड़िया	वाणिज्य कर अधिकारी, मण्डल कार्यालय, श्रीनगर	रिक्त पद के सापेक्ष

उक्तानुसार स्थानांतरित अधिकारी अपनी नयी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

24 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 34 / XXVII(9) / 2011 / स्टाम्प–20 / 2010–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23(क) के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में किसी सहस्वामी (Co-owner) द्वारा जिसका भाग उसमें सुनिश्चित हो, उस सम्पत्ति के अन्य सहस्वामी के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम रुपये एक हजार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण–परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती–पोतों से है।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **no. 34/XXVII(9)/2011/ Stamp-20/2010, Dehradun,** Dated January 24, 2011 for general information.

NOTIFICATION

January 24, 2011

No. 34/XXVII(9)/2011/Stamp-20/2010--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) and in partial modification of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to permit reduction of stamp duty from six percent to 0.25 percent, maximum rupees one thousand on instruments executed in favour of family members whereby a co-owner of a property having defined share therein transfers such share or part thereof to another co-owner of the property under Article 23(A) of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899) from the date of publication of this notification in the official gazette.

Explanation--Family for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter-in-law, brothers, sisters and grand children.

अधिसूचना

24 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 35/XXVII(9)/2011/स्टाम्प–20/2010–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 45 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर में निम्नानुसार कमी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–नगरपालिका, महानगरपालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमान्तर्गत दस करोड़ रु0 मूल्य तक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रु0 एक लाख तथा दस करोड़ रु0 मूल्य से अधिक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रु0 तीन लाख।

2–नगरपालिका, महानगरपालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमा से बाहर की सम्पत्ति से सम्बन्धित विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम रु0 पच्चीस हजार।

स्पष्टीकरणः–परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती–पोतों से हैं।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **no. 35/XXVII(9)/2011/ Stamp-20/2010, Dehradun,** Dated January 24, 2011 for general information.

NOTIFICATION

January 24, 2011

No. 35/XXVII(9)/2011/Stamp-20/2010--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) and in partial modification of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to permit reduction of stamp duty under Article 45 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899) on instruments relating to the partition of properties among family members at the rates specified below :--

1. Within the limit of municipality, municipal corporation, cantonment and industrial development area, on instruments valued up to rupees ten crores, the rates of stamp duty reduced from four percent to one percent maximum rupees one lac and on the instruments valued more than rupees ten crores, the rates of stamp duty reduced from four percent to one percent maximum to rupees three lac.

2. Beyond the limits of municipality, municipal corporation, cantonment and industrial development area, the rates of stamp duty reduced from four percent to 0.25 percent maximum rupees twenty five thousand.

Explanation--Family for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter-in-law, brothers, sisters and grand children.

अधिसूचना

24 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 36/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-20/2010-राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 58 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित व्यवस्थापन विलेखों पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये दस करोड़ तक के विलेख पर तथा दस करोड़ के अधिक विलेख पर रुपये तीन लाख किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण-परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु दाता के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती-पोतों से है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **no. 36/XXVII(9)/2011/ Stamp-20/2010, Dehradun,** Dated January 24, 2011 for general information.

NOTIFICATION

January 24, 2011

No. 36/XXVII(9)/2011/Stamp-20/2010--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) and in partial modification of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to permit the reduction of stamp duty from four percent to 0.5 percent, maximum rupees One lac on instruments valued up to rupees ten crores, and rupees three lakhs on instrument valued more than rupees ten crores on settlement under Article 58 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) from the date of publication of this notification in the official gazette.

Explanation--Family in relation to the donor for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter-in-law, brothers, sisters and grand children.

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary.

सहकारिता विभाग

विज्ञप्ति (नियुक्ति)

01 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 151/XIV–1/2011–3(46)/2010–उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 96(4) तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 271 (ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायिक सेवा से अध्यक्ष के रिक्त पद पर श्रीमती इन्दिरा आशीष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को तैनात करने हेतु महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :–

* पदभार ग्रहण करने की तिथि से श्रीमती इन्दिरा आशीष को अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण के रूप में सहकारी समिति नियमावली, 2004 के अध्याय–19 के अन्तर्गत अनुमन्य/शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित सुविधाएं नियमानुसार देय होंगी।

* श्रीमती इन्दिरा आशीष 67 वर्ष की आयु सीमा तक अध्यक्ष के रूप में न्यायाधिकरण में कार्य देखेंगी बशर्ते कि यह नियुक्ति किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त न कर दी जाय।

* अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में श्रीमती इन्दिरा आशीष का वेतन नियमावली के नियम–272 (ख) (1) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा जो उनकी मूल सेवा में उनको देय वेतन से कम नहीं होगा।

आज्ञा से,

डा0 दिलबाग सिंह,
सचिव।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

नियुक्ति/विज्ञप्ति

03 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 02/XVII(2)/2011–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2006 के अन्तर्गत चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी श्री रत्नाकर सिंह पुत्र श्री बांके बिहारी सिंह, निवासी ग्राम इसरवार, पोस्ट सेवापुरी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश को श्री राज्यपाल महोदय जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड–पे रु0 5400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3–उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या 1936 (एम/एस) के0सी0 मिश्रा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 94 (एस/बी) वर्ष 2009 विजय प्रसाद थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4–श्री सिंह अपनी योगदान आख्या निदेशक आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री सिंह को जिला कार्यक्रम अधिकारी, अल्मोड़ा में रिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। श्री सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी, अल्मोड़ा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5–उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी श्री सिंह को अपनी योगदान आख्या निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के समक्ष प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किये जाने होंगे :–

1. अपनी चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

2. विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

3. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी प्रमाण–पत्र।

4. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

6–उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

25 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 3233(1) / 01 / अधि0 / 2010–11–तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अपर निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत निजी सचिव ग्रेड–1 के रिक्त पद पर वेतनमान रु 9300–34800+ग्रेड पे रु 4800 में अस्थाई रूप से प्रस्तर 2 व 3 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :–

I–श्री भूपेन्द्र कुमार वालिया

II–श्री राकेश कुमार मिश्रा

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिक की तैनाती के पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3–उपरोक्त कार्मिक का निजी सचिव ग्रेड–1 के पद पर नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

कुँवर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट / 151–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुडकी, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2011 ई0 (बैशाख 10, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधिया, आज्ञाए, विज्ञप्तिया इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

03 मार्च, 2011 ई0

पत्रांक 4942 / आयु0 कर उत्तरा0 / सहायता केन्द्र / फार्म / 10–11 / वाणिज्य कर / दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के नियम–30 के उपनियम–13 के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाता है कि नियम–26 के उपनियम–3 में निर्धारित "आयात के लिए घोषणा पत्र" (प्ररुप -16) सीरीज U.K. VAT-K-2010 (क्रमांक 0000001 से 1500000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन मे रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें। उक्त सीरीज एव क्रमाक के प्ररुप–16 जाच चौकियों पर इसकी उपरोक्त वैधता एव प्रचलन की अवधि में स्वीकार किये जाते रहेगे।

सीरीज U.K. VAT-B2009 एव U.K.VAT-D2009 के प्ररुप–16 प्रचलन में बने रहेगे, जब तक कि इनको अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

U.K.VAT-K2010 सीरीज (क्रमाक 0000001 से 1500000 तक) के फार्म–16 80GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित है। इनकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के White Cream तथा प्रत्येक प्रति के ऊपर हल्के आसमानी रग मे गोलाकार बने हुए हैं। मूल प्रति 15 से0मी0 द्वितीय प्रति 15 से0मी0 एव प्रतिपर्ण प्रति 12 से0मी0 कुल तीन प्रतियों में 42 से0मी0 × 29 07 से0मी0 के साईज में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारगी कलर मे उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है। फार्म की मूल प्रति के ऊपर दाहिने तरफ चार वर्टिकल बाक्स बनाये गये हैं तथा इनमें 1,2,3,4 अकित किया गया है। कर निर्धारण कार्यालय का कोड अकित करने के लिए मूल प्रति के नीचे दाहिने तरफ क्रमश. 0 से 9 एव 0 से 9 तक ऐसे बाक्स बनाये गये है जिनमे क्रमश. 0 से 9 तथा 0 से 9 तक के क्रमाक अकित हैं तथा इनके दाहिनी तरफ एक–एक स्टार बनाये गये हैं। इसकी बैक ग्राउण्ड मे वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन की सील सर्किल में मुद्रित है।

प्ररुप–16 की प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं :–

1–फार्मों की Anti Photocopier Printing तथा Fiber in Background है।

2–फार्मों के प्रत्येक प्रति के ऊपर मध्य में उत्तराखण्ड लोगो की **invisible Ink in Printing** है जो अल्ट्रवालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

3–फार्मों मे उत्तराखण्ड लोगो की **Florescent Special Ink in Printing** है जो एन्टीफोटोकोपियर है।

4–फार्मों मे **Invisible U.V. Fiber** डाले गये हैं, जो अल्ट्रवालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

5–फामो की **Guilloche Pattern** में बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग है।

6–फार्मों मे **Thermo Chromic Ink** का भी प्रयोग किया गया है, जो अल्ट्रवालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

7–फार्मों मे **Height Band Invisible** एवं **Micro Text** प्रिंटिंग की गई है तथा फार्म के ऊपरी तथा नीचे के भाग मे वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की बैकग्राउन्ड प्रिंटिंग हल्के क्रीम कलर मे की गयी है तथा मध्य वाले भाग में हल्के आसमानी रंग में की गयी है।

राधा रतूडी,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 हिन्दी गजट/151–भाग 1-क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2011 ई0 (बैशाख 10, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पंचायत, डोईवाला, देहरादून

ठेकेदारी पंजीकरण उपविधि

विज्ञप्ति

07 अप्रैल, 2011 ई0

पत्रांक न0नि0/13/गजट–प्रकाशन/2010–11

1–परिभाषायें :

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, डोईवाला के ठेकेदारों की नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(2) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, डोईवाला से है।

(3) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, डोईवाला के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(4) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटी एक्ट सं0 2, 1916) अध्यादेश, 2002 से है।

(5) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, डोईवाला के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी से है।

(6) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डोईवाला से है।

(7) पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पंचायत, डोईवाला में सड़क/नाली निर्माण पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने के इच्छुक व्यक्ति से है।

(9) श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2–पंजीकरण की प्रक्रिया :

नगर पंचायत के सड़क/नाली एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है :–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा या जनपद में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो। प्रमाण–पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो देना अनिवार्य होंगे।

(2) उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(3) उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है) :–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	5.00 लाख रुपया
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	3.00 लाख रुपया
स–तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख रुपया

(4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पंचायत एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव एवं एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये के कार्य करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियंता एवं टी0एण्ड पी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर) आदि होने आवश्यक होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभाव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये के कार्य करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी किया गया मान्य होगा)।

(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(8) कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत में ठेकेदारी के लिये पंजीकृत होने का इच्छुक हो, यदि उसके रिश्ते (रक्त सम्बन्ध/ब्लड रिलेशन) में नगर पंचायत में कोई सदस्य अथवा अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हो ऐसी दशा में पंजीकरण के लिये सम्बन्धित आवेदक को पंजीकरण से पूर्व बोर्ड से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

3–जमानतें :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र तथा किसान विकास–पत्र के साथ अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना–पत्र के साथ देनी होगी।

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	30,000.00 रुपया
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	20,000.00 रुपया
स–तृतीय श्रेणी के लिए	10,000.00 रुपया

4–पंजीकरण शुल्क :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा कराना होगा।

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	5,000.00 रुपया
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	3,000.00 रुपया
स–तृतीय श्रेणी के लिए	2,000.00 रुपया

5–पंजीकरण की अवधि :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मात्र अप्रैल, मई व जून में ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे। पंजीकरण निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारुप रु0 25.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारुप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

6–नवीनीकरण की प्रक्रिया :

ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा :–

(1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर रु0 200.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारुप पर जिसका मूल्य रु0 25.00 होगा कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पालिका कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्य के विवरण पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी :–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	1500.00 रुपया
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	1200.00 रुपया
स–तृतीय श्रेणी के लिए	1100.00 रुपया

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम प्रमाण–पत्र देना होगा।

7–निर्माण के सम्यादन की सीमा :

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा :–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8–निविदा प्रपत्र की लागत :

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान (आमणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :–

कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
अ–50,000.00 तक	50.00
ब–50,000.00 से 1,00,000.00 तक	100.00
स–1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	200.00
द–2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	300.00
य–4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	500.00

र–8,00,000.00 रुपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रुपये पर 10.00 रुपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9—निविदा स्वीकार करने का अधिकार :

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है तो इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती है। निविदा डालने के 6 माह बाद तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने लिए बाध्य नहीं होगा।

10—धरोहर राशि :

पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से लगानी होगी, जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होंगी तथा कार्यादेश मिलने के उपरान्त अनुबन्ध के समय 3 प्रतिशत जमानत राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से लगानी होगी, जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होंगी। अन्तिम बिल भुगतान पर 5 प्रतिशत जमानत राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से जमा करनी होगी या बिल से काट दी जायेगी। सम्पूर्ण 10 प्रतिशत जमानत राशि कार्य समाप्ति के 6 माह पश्चात् अवर अभियन्ता की संस्तुति पर वापस की जायेगी।

11—ठेकेदार का भुगतान :

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं 10 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12—कार्य पूर्ण करने की अवधि :

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया गया तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही का जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर रु0 100.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी।

13—पंजीकरण की निरस्तीकरण :

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14—जमानत जब्त करने का अधिकार :

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

(सरिता राणा),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, डोईवाला, देहरादून।

(प्रेमलता रावत),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, डोईवाला, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/151-भाग 8-2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।